



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०९/२४९/२०२२/एफ.सी./450

दिनांक : 02.09.2022

सेवा में,
अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Pipeline/15071/2021

विषय: जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत रा०रा० सं०-24 (नई 09) दिल्ली-लखनऊ रोड (ए०के०जी० इंजीनियरिंग कॉलेज से गंग नहर तक) (बायीं पट्टरी) के किमी० 27.500 से किमी० 33.350 रा०रा० सं०-709बी दिल्ली-बागपत रोड (लोनी इंटर कॉलेज के सामने से निकट केनरा बैंक, लोनी तक) (बायीं पट्टरी) के किमी० 15.600 से किमी० 18.000 एवं रा०रा० सं०-709बी दिल्ली बागपत रोड (बैपरीयब सिंह द्वारा के सामने से निकट आवास-विकास परिषद ऑफिस, मंडोला, गाजियाबाद तक) (बायीं पट्टरी) के किमी० 19.300 से किमी० 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 किमी० एवं 0.4575 हे० संरक्षित वनभूमि तक सड़क के किनारे ओपन ट्रैन्च/एच०डी०डी० तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 ए०एम० व्यास की एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन) उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-206/81-2-2022-800(262)/2022, लखनऊ, दिनांक-03.08.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जैसा कि आप द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र RoW में आता है एवं किसी भी संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। FCA Guidelines के Clause सं० 4.2 के अनुसार यदि प्रस्ताव अर्हता रखता है तो राज्य सरकार अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: मूल प्रस्ताव।

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
4. इन्द्रप्रस्थ गैस लि० आई०जी०एल० भवन नई, दिल्ली।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 849/11सी- FP/UP/Pipeline/150710/2021 दिनांक, लखनऊ, सितम्बर ०९, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- इन्द्र प्रस्थ गैस, लिमिटेड, आई०जी०एल० भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।